सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील सं. 1966 का 2013

कर्नाटक राज्य और अन्य। ... अपीलकर्ता(ओं)

बनाम

बीआर मुरलीधर और अन्य। ...प्रतिवादी

साथ

2022 की सिविल अपील संख्या... ... ...

2013 की एसएलपी (सी) संख्या 18942 से उत्पन्न)

ए.एम खानविलकर, न्यायाधीश.

1. इन अपीलों में, विषय वस्तु आवास विभाग द्वारा कर्नाटक स्लम क्षेत्र (सुधार और हस्ताक्षर सत्यापित मंजूरी नहीं) अधिनियम, 19731 की धारा 17 के तहत जारी दिनांक 23.6.2005 की अधिसूचना संख्या एचडी 34 कोमामे 2004, बैंगलोर है।

2. उक्त अधिसूचना को चुनौती दोहरी थी। पहला यह है कि विवादित अधिसूचना रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर पर्याप्त रूप से विचार किए बिना और प्राधिकरण में निहित शक्ति से अधिक जारी की गई थी। दूसरा, अधिग्रहण की समाप्ति के बारे में था जो 14.10.1982 को 1973 अधिनियम के तहत जारी कारण बताओ नोटिस के आगे था। रिट याचिकाकर्ताओं का मामला यह था कि समय के साथ, कथित कारण बताओ नोटिस (प्रारंभिक अधिसूचना) काम कर गई थी और 23 वर्षों के बाद इसके आगे किसी भी अधिग्रहण की कानून में अनुमति नहीं दी जा सकती थी। अनिवार्य रूप से 1973 अधिनियम की धारा 17 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए संपत्ति कर के तीन सौ गुना की दर पर राशि का भुगतान करने के लिए निर्धारित भुगतान निर्धारित करने की विधि के बारे में थी, न कि संपत्ति के उचित बाजार मूल्य के बारे में। . जबकि, संपत्ति कर के आधार पर दी जाने वाली राशि अनिवार्य रूप से एक भ्रामक राशि है, जिसमें संसद द्वारा बनाए गए कानून, अर्थात् भूमि अधिग्रहण अधिनियम , 1894 भी शामिल है।

कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम बी. आर मुरलीधर

[एम खानविलकर, न्यायाधीश]

सिविल अपील नंबर 1966/2013

3. कर्नाटक उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने सामान्य निर्णय और आदेश दिनांक 20.9.2007 द्वारा 1973 अधिनियम की धारा 20 को अधिकारातीत घोषित कर दिया। हालाँकि, उन्होंने रिट याचिकाकर्ताओं की इस दलील को खारिज कर दिया कि दिनांक 14.10.1982 की प्रारंभिक अधिसूचना के अनुसार अधिग्रहण इस निष्कर्ष पर समाप्त हो गया था कि 1973 अधिनियम में 1894 अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाकर्ताओं की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि उनकी आपत्तियों पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया गया था। ऐसा मानने के बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 23.6.2005 की विवादित अधिसूचना को रद्द नहीं किया। जैसा कि संक्षेप में लिखा गया है, "1894 अधिनियम" एकल न्यायाधीश ने माना कि 1973 अधिनियम की धारा 20 अधिकारातीत थी, तब उसे यह मानना पड़ा कि भूमि खोने वालों को भुगतान की जाने वाली राशि के निर्धारण की विधि के संबंध में शून्यता पैदा हो गई थी। और जब तक राशि के निर्धारण के लिए उचित तरीके को राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता, तब तक भूमि खोने वालों को 1894 अधिनियम की धारा 23 और 24 के अनुसार राशि का भुगतान किया जाना चाहिए।

4. विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ, रिट याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ कर्नाटक राज्य द्वारा क्रॉस अपील दायर की गईं। यहां प्रतिवादी नंबर 3 (वी. बालासुब्रमण्यम @ बालेंदर वेंकट) ने हालांकि बाद में अपनी अपील वापस ले ली। 1973 अधिनियम की धारा 20 को अधिकारहीन घोषित करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले पर आपत्ति जताने के लिए कर्नाटक राज्य द्वारा दायर की गई अपील का निपटारा 2008 की रिट अपील संख्या 918 में पारित दिनांक 28.8.2012 के फैसले और आदेश के माध्यम से किया गया। और 2011 की रिट अपील संख्या 1484-485 (जीएमएसएलयूएम)। रिट याचिकाकर्ता (यहां प्रतिवादी नंबर 3) द्वारा दायर क्रॉस अपील को वापस लेने के मद्देनजर, डिवीजन बेंच को अधिग्रहण की समाप्ति और अपर्याप्तता की दलील के संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष की सत्यता की जांच करने की आवश्यकता नहीं थी । दिनांक 23.6.2005 की अंतिम अधिसूचना को चुनौती देने के लिए रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई आपत्तियों पर विचार। जैसा कि पूर्वोक्त कहा गया है, डिवीजन बेंच ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दी गई घोषणा को बरकरार रखा कि 1973 अधिनियम की धारा 20 असंवैधानिक थी। हालाँकि, डिवीजन बेंच ने 1894 अधिनियम की धारा 23 और 24 के अनुसार भूमि खोने वालों को देय राशि निर्धारित करने की विधि के संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए ऑपरेटिव निर्देश को संशोधित किया; और इसके बजाय, यह देखा गया कि ऐसा निर्देश न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के दायरे से बाहर होगा और 1973 अधिनियम की धारा 20 में उपयुक्त संशोधन

लाने के लिए राज्य हमेशा खुला है। 2008 की रिट अपील संख्या 918 में दिए गए डिवीजन बेंच के इस फैसले के खिलाफ, कर्नाटक राज्य ने 2013 की सिविल 344 अपील संख्या 1966 दायर की है। दिनांक 25.2.2013 के आदेश के तहत स्वीकृति देते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया है जो कि सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 10 एस.सी.आर.–("एसएलपी (सी) संख्या 39936/2012 है)

स्वीकृत:–

उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश का कार्यान्वयन, जहां तक कि यह कर्नाटक स्लम क्षेत्र (सुधार और निकासी) अधिनियम, 1973 [संक्षेप में 'अधिनियम'] की धारा 20 को रद्द करता है, इस न्यायालय के अगले आदेश तक स्थगित रहेगा। . याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 20 के अनुसार भूमि मालिकों को मुआवजा निर्धारित करने और भुगतान करने के लिए स्वतंत्र होंगे । ऐसा कोई भी निर्धारण और भुगतान इस अपील के अंतिम परिणाम के अधीन रहेगा।"

5. प्रतिवादी नंबर 4 (मैसर्स चंद्रा स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड) ने, जैसा कि ऊपर कहा गया है, कर्नाटक राज्य द्वारा दायर प्रमुख अपील में, 2008 की रिट अपील संख्या 1492 के रूप में डिवीजन बेंच के समक्ष एक स्वतंत्र अपील दायर की (जीएमएसएलयूएम), जिसे दिनांक 17.8.2012 के आक्षेपित निर्णय और आदेश के तहत अस्पष्ट देरी के आधार पर खारिज कर दिया गया। डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ, प्रतिवादी नंबर 4 ने 2013 की एसएलपी (सी) संख्या 1894[2] से उत्पन्न क्रॉस अपील दायर की है, जो अनिवार्य रूप से कंपनी द्वारा दायर क्रॉस अपील को खारिज करने वाले उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले पर सवाल उठाती है जो लैचेस और अस्पष्टीकृत देरी जैसे ग्राउंड हैं।

6. हमने कर्नाटक राज्य के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री निखिल गोयल, प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री निखिल नैय्यर और प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान को सुना है।

7. उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की सत्यता पर सवाल उठाने के लिए विविध आधार उठाए गए हैं। इन अपीलों में विवादास्पद प्रश्न 1973 अधिनियम की धारा 20 के बीच स्लम एरिया अधिनियम की धारा 20 को रद्द करने और आवश्यक विधायी संशोधन की शुरुआत के बीच संक्रमण के दौरान, बाजार मूल्य का निर्धारण धारा के अनुसार होना चाहिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के 23 और 24 , क्योंकि उक्त अधिनियम के प्रावधान समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं।" (जोर दिया गया)

8. जब मामला उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष गया, तो जिस तरह से अपीलों का निपटारा किया गया, विशेष रूप से 1973 अधिनियम की धारा 20 की संवैधानिक वैधता का मुद्दा, अलग नहीं है। डिवीजन बेंच ने पार्टियों और विशेष रूप से राज्य की दलीलों पर गौर किया कि 1973 अधिनियम के प्रावधानों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 31 सी के संदर्भ में छूट प्राप्त है। तर्क पर विचार करते हुए, डिवीजन बेंच ने कहा कि 1973 का अधिनियम अनुच्छेद 31 सी से संबंधित संविधान के 44 वें संशोधन से बहुत पहले 29.10.1974[8] को लागू हुआ था – जिस तारीख को अनुच्छेद 19(1)(एफ) और 31 के प्रावधान लागू किए गए थे। लागू। ऐसा कहने के बाद, डिवीजन बेंच ने उसके समक्ष अपील में उत्तर दिए जाने वाले प्रश्न को इस प्रकार व्यक्त किया:

"क्या केटी प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड[9] में निर्णय लागू किया जा सकता है और उसी के आधार पर क्या हस्तक्षेप के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की आवश्यकता है या नहीं।

9. इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए डिवीजन बेंच ने सबसे पहले केटी प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड[10] के पैराग्राफ 189, 190 से 193, 198, 201 और 209 को दोहराया और निम्नलिखित शब्दों में विचाराधीन प्रश्न का निपटारा किया:

"15. निर्णय के उपरोक्त पैराग्राफ को पढ़ने से, हमारी राय है कि यह राज्य के लिए न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित करना है कि अधिनियम की धारा 20 के तहत तय की गई राशि भ्रामक नहीं है और यह उचित और उचित मुआवजा है।

"16. वर्तमान अधिनियम को भारत के संविधान के अनुच्छेद 31 सी के तहत कोई छूट नहीं मिल सकती है, क्योंकि वर्तमान अधिनियम 44 वें संशोधन से पहले अधिनियमित किया गया है। यदि वर्तमान अधिनियम संविधान में 44 वें संशोधन के बाद अधिनियमित किया गया था, तो हमारा विचार है कि केटी प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य 11 के निर्णय बिल्कुल लागू होगा। जैसा कि ऊपर कहा गया है, वर्तमान अधिनियम 44 वें संशोधन से पहले अधिनियमित किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में, यह राज्य के लिए है कि अधिनियम की धारा 20 के तहत तय की गई राशि बाजार मूल्य है और यह स्पष्ट है क्योंकि उचित मुआवजे का भुगतान किए बिना किसी भी भूमि खोने वाले को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से, इस मामले में, राज्य ने हमारे सामने यह दिखाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है कि नगर पालिका द्वारा निर्धारित मूल्यांकन का तीन सौ गुना उचित मुआवजा होगा या बाजार मूल्य के बहुत करीब होगा। ऐसी परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि यदि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अधिनियम की धारा 20 को असंवैधानिक ठहराया है, तो हम उसमें हल्के से

हस्तक्षेप नहीं कर सकते। (जोर दिया गया) यह दोनों पक्षों द्वारा 1973 अधिनियम की धारा 20 की वैद्यता पर विस्तृत रूप से बहस किया गया है

कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम बी. आर मुरलीधर [एम खानविलकर, जे.]

सिविल अपील नंबर 1966/2013

10. राज्य, 1973 अधिनियम और उसके प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 20 के अनुसार, उसे संविधान के अनुच्छेद 31 सी के संरक्षण का आनंद लेना चाहिए । तथ्य यह है कि संविधान में 44 वां संशोधन 20.6.1979 से लागू हुआ और 1973 का अधिनियम उससे बहुत पहले लागू हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि, उस प्रासंगिक समय में भी अनुच्छेद 31 सी उपलब्ध था क्योंकि यह 20.4.1972 को लागू हुआ था, इस हद तक इसे इस न्यायालय की संविधान पीठ ने परमपावन केशवानंद भारती श्रीपदगलवरु बनाम केरल राज्य और अन्य मामले[12] में बरकरार रखा है । दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 31 सी का विस्तार , जैसा कि इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था, 1973 अधिनियम लागू होने के समय अभी भी जो कथित अधिनियम को चुनौती से सुरक्षा और प्रतिरक्षा देने के लिए उपलब्ध था। संविधान के अनुच्छेद 39(बी) में प्रतिपादित सिद्धांत का संदर्भ दिया जा रहा है । इसलिए, अपीलकर्ता के अनुसार 1973 अधिनियम के तहत भूमि खोने वाले को देय राशि के निर्धारण के लिए अलग–अलग विधि निर्धारित करना राज्य विधानमंडल के लिए खुला था। इस दलील को पुष्ट करने के लिए, **कर्नाटक राज्य और अन्य, आदि बनाम रंगनाथ रेड्डी और अन्य**[13], आदि पर महाराव साहब श्री भीम सिंहजी बनाम भारत संघ एवं अन्य .[14] राजीव सरीन और अन्य. बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य .[15] और केटी प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड[16] पर भी भरोसा किया गया है। इसके लिए, राज्य के विद्वान वकील ने हमारा ध्यान उद्देश्यों और कारणों के विवरण, प्रस्तावना और 1973 अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की योजना की ओर भी आकर्षित किया, जिसमें धारा 17 भी शामिल है, जो झुग्गीवासियों को उनकी मौजूदा खराब जीवन स्थितियों से पुनर्वासित करना है । स्लम क्षेत्र में, ताकि स्लम क्षेत्र या स्लम क्लीयरेंस क्षेत्र का पुनर्विकास करके आम हित की सर्वोत्तम सेवा की जा सके, जैसा कि हो सकता है। झुग्गीवासियों का ऐसा पुनर्वास, 1973 अधिनियम की धारा 18 के अनुसार भूमि को सभी बाधाओं से मुक्त राज्य में निहित करने के बाद "समुदाय के भौतिक संसाधनों" के वितरण के समान है। संक्षेप में, 1973 अधिनियम के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 39(बी) के विस्तार के संदर्भ में हैं; और धारा 20 केवल भूमि खोने वाले को मुआवजा देने के लिए निम्नलिखित विधि द्वारा उस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक प्रावधान (साधन) है – ऐसी भूमि के संबंध में देय संपत्ति कर की तीन सौ गुना राशि की पेशकश करके इस पर भी भरोसा रखा गया है महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य. बनाम

बसंतीबाई मोहनलाल खेतान और अन्य .17 जिसने महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976[18] की वैधता के प्रश्न से निपटा था. यह अधिनियम महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल द्वारा बॉम्बे हाउसिंग बोर्ड अधिनियम, 1948 को समेकित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। राज्य के बॉम्बे और हैदराबाद क्षेत्र, मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड अधिनियम, 1950, बॉम्बे बिल्डिंग मरम्मत और पुनर्निर्माण बोर्ड अधिनियम , 1969 और "महाराष्ट्र स्लम सुधार बोर्ड अधिनियम, 1973"। इस न्यायालय ने 1976 अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा, संक्षेप में, "1976 अधिनियम" संविधान के अनुच्छेद 31 सी का संदर्भ है क्योंकि यह प्रासंगिक समय पर अस्तित्व में था (निर्णय द्वारा मान्य) **परम पावन केशवानंद भारती श्रीपादगलवरु19**) में, जैसा कि रिपोर्ट किए गए निर्णय के पैराग्राफ 13 से 15 में चर्चा से समझा जा सकता है। राज्य यह भी तर्क देगा कि 1973 अधिनियम की धारा 20 की वैधता पर विचार करते समय, इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक हो सकता है कि क्या अभिव्यक्ति "समुदाय के भौतिक संसाधनों" में निजी संपत्ति शामिल होगी और इस प्रश्न का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है । प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन और अन्य [20] बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य में एक बड़ी बेंच (नौ न्यायाधीश) द्वारा, जो विचाराधीन है। इसलिए इन मामलों को उन मामलों के साथ टैग किया जाए.

12. इसके अलावा, 1973 अधिनियम की धारा 17 के तात्पर्य के संदर्भ में इस न्यायालय के समक्ष पहली बार रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा बार में प्रचारित तर्क के जवाब में, राज्य द्वारा यह आग्रह किया गया है कि वही उच्च न्यायालय के समक्ष इस संबंध में कोई दलील दिए बिना इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि, रिट याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया था कि विवादित अधिसूचना के संदर्भ में अधिग्रहित भूमि को न तो धारा 3 के तहत स्लम क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था और न ही 1973 अधिनियम की धारा 11 के तहत स्लम निकासी क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था और इस तरह, इसे अधिग्रहित धारा 17 कि शर्तों के तहत नहीं किया जा सकता था।

11. रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील आगे तर्क देंगे कि "समुदाय के भौतिक संसाधनों" की अभिव्यक्ति के विस्तार से संबंधित मुद्दा वर्तमान मामले में नहीं उठेगा। उसमें, उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्ष यह है कि अनुच्छेद 31 सी का कोई संरक्षण 1973 अधिनियम के प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 20 में उपलब्ध नहीं है । उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया यह दृष्टिकोण अपरिहार्य है। साथ ही, प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा इसे लिखित प्रस्तुतियों सहित काफी हद तक स्वीकार कर लिया गया है कि यह मुद्दा कि क्या अभिव्यक्ति "समुदाय के भौतिक संसाधनों" में निजी स्वामित्व वाले संसाधन शामिल होंगे, नौ न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचाराधीन है। विद्वान वकीलों के द्वारा अपने अपीलकर्ताओं की तरफ से इस

संबंध में लिखित विस्तृत बयान अपने मौखिक बहस के अलावा, न्यायालय में दाखिल किया गया है।

12. हमारी सुविचारित राय है कि उच्च न्यायालय ने धारा 20 की वैधता के प्रश्न को आकस्मिक तरीके से निपटाया है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि संवैधानिक न्यायालय को इस मामले में जवाब देने के लिए सबसे पहले 1973 अधिनियम की योजना, इसके उद्देश्यों और उद्देश्यों की जांच करने की आवश्यकता है, साथ ही यह प्रश्न भी: कि क्या तीन सौ के रूप में निर्दिष्ट राशि का भुगतान किया जाएगा। प्रकाशन की तिथि पर ऐसी भूमि के संबंध में देय संपत्ति कर राशि के निर्धारण की एक अनुमेय विधि होगी या क्या यह स्वयं अन्यायपूर्ण, अनुचित या अनुचित है? बेशक, संपत्ति के मूल्यांकन के लिए अलग-अलग तरीके हो सकते हैं, जिसमें पूंजीकरण मूल्य की विधि भी शामिल है। इसके अलावा, इस बात पर भी विचार करना होगा कि क्या यह एक वस्तुनिष्ठ तरीका है और भ्रामक नहीं है (जैसा कि राज्य का मामला है कि धारा 20 के तहत निर्धारित राशि काफी बड़ी है, यानी 3.52 करोड़ रुपये), वर्तमान मामले में . इसके अतिरिक्त, यदि 1973 अधिनियम और प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) में दिए गए उद्देश्य के अनुरूप हैं, तो इसे संविधान के अनुच्छेद 14 , 19 या 31 के संदर्भ में चुनौती से सुरक्षा या प्रतिरक्षा मिलेगी। इसके अलावा, भले ही उच्च न्यायालय यह मानने में सही था कि 1973 का अधिनियम, 20.6.1979 को संविधान में 44 वें संशोधन के लागू होने से पहले लागू हुआ था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अनुच्छेद 31 सी पहले से ही 20.4.1972 से लागू था। इस हद तक कि **परमपावन केशवानंद भारती श्रीपादगलवरु**[21] में इस न्यायालय द्वारा इसे मान्य किया गया है।

... ...

न्यायाधीश और डिवीजन बेंच के फैसले के पैराग्राफ 19 से देखा जा सकता है। अनुच्छेद 16 अब तक पुन: प्रस्तुत किया गया।

14. यह देखने के लिए पर्याप्त है कि उच्च न्यायालय ने 1973 के अधिनियम की धारा 20 की वैधता पर हमले का निपटारा गुप्त तरीके से किया और इससे भी अधिक संवैधानिक न्यायालय द्वारा अधिनियमित प्रावधानों की घोषणा करने के लिए आवश्यक सभी प्रासंगिक पहलुओं का विश्लेषण किए बिना, राज्य विधानमंडल अधिकार क्षेत्र से बाहर है। क्योंकि, संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून की संवैधानिकता के बारे में ऐसा ही अनुमान है।

15. रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा यह भी आग्रह किया गया था कि राज्य भूमि के मूल्य को निर्धारित करने की विधि को समझाने और उचित ठहराने में विफल रहा है, जो कि उचित बाजार मूल्य के बराबर होना चाहिए न कि भ्रामक राशि। जहां तक पक्षों की दलीलों में कमी का सवाल है, एक ही तर्क का इस्तेमाल दोनों पक्षों के खिलाफ किया जा सकता है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि संवैधानिक वैधता को स्पष्ट रूप से रिट याचिका में एक वैकल्पिक याचिका के रूप में उठाया गया है जो कि 2005 की रिट याचिका संख्या 21192 (जीएम एसएलयूएम) 22 के पैराग्राफ 29 और 30 में चुनौती का अंतिम आधार है। वही इस प्रकार पढ़ता है:

संविधान की सूची III, 7 वीं अनुसूची की प्रविष्टि 42 संपत्ति के अधिग्रहण और मांग का प्रावधान करती है। इस तथ्य के कारण कि उक्त विषय समवर्ती सूची में है, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। संसद ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम बनाकर मुआवजे के भुगतान सहित अधिग्रहण से संबंधित पूरे क्षेत्र पर कब्जा करने में रुचि दिखाई है और इसलिए यह क्षेत्र पूरी तरह से कवर हो गया है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम संपत्ति के बाजार मूल्य पर मुआवजे के भुगतान का प्रावधान करता है। अधिनियम, जिसे बाद में, हालांकि, राष्ट्रपति की सहमति मिल गई है, धारा 20 में जहां तक यह ऐसी भूमि पर देय संपत्ति कर की 300 गुना राशि के भुगतान का प्रावधान करता है, जिसकी पद्धति प्रदान की गई पद्धति से भिन्न है। इसलिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण राज्य विधानमंडल की क्षमता से परे है और इसलिए इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 ए के साथ पठित भूमि अधिग्रहण अधिनियम , 1894 के उल्लंघन के रूप में शून्य घोषित किया जा सकता है।

30. यह मानते हुए, लेकिन यह नहीं मानते कि भूमि अधिग्रहण में सरकार की विवादित कार्रवाई दोषपूर्ण है, फिर भी सरकार याचिकाकर्ता को संपत्ति के बाजार मूल्य पर और भूमि के तहत निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है। अधिग्रहण अधिनियम , 1894 और अधिनियम की धारा 20 के तहत संपत्ति का 300 गुना नहीं ।"

16. चूंकि उच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से इस दलील पर ध्यान केंद्रित किया गया था कि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो गई थी, यहां तक कि राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपनी प्रतिक्रिया में केवल इस प्रकार कहा था:

"10. ...अधिनियम की धारा 20 के अनुसार देय मुआवजा मूल्यांकन का 300 गुना सही है। यह अधिनियम और इसके प्रावधान एक सामाजिक दायित्व के रूप में गरीबों और वंचित झुग्गीवासियों की बेहतरी के लिए हैं। अधिनियम की धारा 17 के तहत अर्जित ऐसी भूमि के लिए देय मुआवजा केवल अधिनियम की धारा 20 के अनुसार है। उत्तरदाताओं पर कई लाख झुग्गीवासियों को आश्रय प्रदान करने का दायित्व है और उत्तरदाता भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं और उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, यानी बाजार मूल्य के अनुसार, भारी मुआवजे का भुगतान नहीं कर सकते हैं। इसलिए, केएसए (आई एंड सी) अधिनियम, 1973 के प्रावधानों को धारा 17 के अनुसार भूमि अधिग्रहण करने और अधिनियम की धारा 20 के अनुसार मुआवजे का भुगतान करने के लिए लागू किया जाता है। इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300ए का उल्लंघन नहीं होता है।"

17. जैसा कि पूर्वोक्त कहा गया है, 1973 अधिनियम की धारा 20 को असंवैधानिक होने की चुनौती के अलावा , पहली बार बहस के दौरान और फिर लिखित प्रस्तुति में दोहराया गया, 1973 अधिनियम की धारा 17 की प्रयोज्यता के संबंध में प्रश्न वर्तमान मामले की तथ्यात्मक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। उस संबंध में रिट याचिकाओं में कोई दलील नहीं है।

18. जो भी हो, उच्च न्यायालय ने माना था कि 1894 या 2013 अधिनियम के विपरीत, 1973 अधिनियम में अधिग्रहण की समाप्ति के संबंध में एक स्पष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति में, यह 23.6.2005 दिनांकित अधिसूचना को समय की बर्बादी के कारण रद्द करने की राहत देने के लिए खुला नहीं है। उसमें, कारण बताओ नोटिस (प्रारंभिक अधिसूचना) आमतौर पर तब जारी किया जाता है जब सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट होता है कि किसी भी "स्लम क्षेत्र" या ऐसे क्षेत्र में किसी भी इमारत के संबंध में सुधार के किसी भी कार्य को निष्पादित करने के उद्देश्य से या किसी के पुनर्विकास के उद्देश्य से "स्लम क्लीयरेंस एरिया", या स्लम निवासियों के पुनर्वास के उद्देश्य से, किसी भी भूमि का अधिग्रहण करना आवश्यक है और उक्त प्रावधान के अनुसरण में ऐसा निर्णय लिया गया है। स्लम क्षेत्र को विकसित करने और स्लम निवासियों के पुनर्वास की आवश्यकता राज्य का एक सतत दायित्व है जब तक कि इसका पूरी तरह से निर्वहन नहीं हो जाता। तथ्य यह है कि विचाराधीन भूमि का अधिग्रहण क्यों नहीं किया जाना चाहिए, इसका

कारण बताने के लिए प्रारंभिक नोटिस और धारा 17 के तहत अंतिम अधिसूचना जारी करने के बीच कुछ समय का अंतर है, यह वैध शो के माध्यम से शुरू की गई प्रक्रिया को घोषित करने का आधार नहीं हो सकता है। समय की बर्बादी के कारण व्यपगत होने के कारण नोटिस दें।

18 ए. हालाँकि, रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा यह आग्रह किया गया है कि किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए बताई गई शक्ति का प्रयोग उचित समय सीमा में किया जाना चाहिए। उचित तरीके से शक्ति का प्रयोग उचित समय के भीतर इसके प्रयोग की अवधारणा को अंतर्निहित करता है। उचित समय की अवधि क्या होगी, यह अधिनियम की योजना के संदर्भ में मामले के तथ्यों और उस शक्ति की प्रकृति के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए जिसका प्रयोग न्याय के दुरुपयोग, दुरुपयोग या शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जाना है। इस याचिका की भी सबसे पहले जांच उच्च न्यायालय द्वारा करना चाहिए था।

19. मामले पर विचार करने और वर्तमान मामले की तथ्यात्मक स्थिति पर विचार करने के बाद, हमारी सुविचारित राय है कि रिट याचिकाओं पर नए सिरे से पुनर्विचार के लिए पक्षों को उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना उचित होगा, जिसमें प्रश्न 1973 अधिनियम की धारा 20 की संवैधानिक वैधता के संबंध में भी शामिल है। रिमांड की कार्यवाही में, रिट याचिकाकर्ताओं के लिए यह खुला होगा कि वे रिट याचिका में संशोधन करके उस भूमि पर धारा 17 की अनुपयुक्तता के संबंध में एक नई याचिका दायर करें – जिसे स्लम क्षेत्र या स्लम क्लीयरेंस क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। उस प्रश्न का उत्तर, यदि रिट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में दिया जाता है, तो मामले की जड़ तक पहुंच जाएगा और तब 1973 अधिनियम की धारा 20 की संवैधानिक वैधता के संबंध में प्रश्न की जांच करना भी आवश्यक नहीं होगा ।

---

(13) एआईआर 1978 एससी 215: (1977) 4 एससीसी 471 (7-जज बेंच)
(1981) 1 एससीसी 166 (5-जजों की बेंच), (15) (2011) 8 एससीसी 708 (5-जजों की बेंच)
(16) सुप्रा फ़ुटनोट नंबर 9, (17) (1986) 2 एससीसी 516 (2-जज बेंच)
(18) संक्षेप में, "1976 अधिनियम", (19) फ़ुटनोट नंबर 12 पर सुप्रा

20. परिणामस्वरूप, दोनों पक्षों को पर्याप्त न्याय देने के लिए, हम रिट याचिकाओं पर नए सिरे से अपने गुणों के आधार पर और स्वतंत्रता के साथ कानून के अनुसार पुनर्विचार करने के

लिए उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष पक्षों को स्थानांतरित करना उचित समझते हैं। दोनों पक्षों को रिट याचिका में संशोधन करने या प्रश्नगत प्रावधानों और अधिग्रहण की कार्रवाई का बचाव करने के लिए और बेहतर हलफनामा दायर करने के लिए, जैसा भी मामला हो, पार्टियां आज से छह सप्ताह के भीतर ऐसा कर सकती हैं। रिमांड के बाद मामला सुनवाई के लिए सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष आगे बढ़ेगा।

21. हमें यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि **प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन**[23] के संदर्भ में इस न्यायालय की बड़ी बेंच के फैसले का इंतजार करना विद्वान एकल न्यायाधीश के लिए खुला होगा, ऐसी स्थिति में इस तर्क से निपटना आवश्यक हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 39(बी) में अभिव्यक्ति "समुदाय के भौतिक संसाधन" का विस्तार और 1973 अधिनियम के विवादित प्रावधान पर इसकी प्रयोज्यता, आमतौर पर, न्यायिक औचित्य का पालन करने के लिए हमने इन अपीलों को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने और संबंधित मामलों के साथ इस न्यायालय की बड़ी पीठ के समक्ष सुनवाई करने का विकल्प चुना होगा। हालाँकि, उस स्थिति में, पार्टियों को अपनी दलीलों में संशोधन करना पड़ सकता है, यदि वे चुनौती के लिए अतिरिक्त आधार या बचाव के माध्यम से, जैसा भी मामला हो, आग्रह करना चाहते हैं इसलिए, यह अभ्यास पहली बार उच्च न्यायालय के समक्ष किया जा सकता है, जहां दोनों पक्षों को अपने मामले की पैरवी करने और बहस करने का पूरा अवसर मिलेगा।

22. उपरोक्त के मद्देनजर, हम उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 17.8.2012 और 28.8.2012 के साथ-साथ सामान्य निर्णय दिनांक 20.9.2007 को रद्द करते हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका संख्या 22611/2005[24] की रिट याचिका संख्या 20955/2005[25] और रिट याचिका संख्या 21192/2005 को स्वतंत्रता देने के बाद कानून के अनुसार नए सिरे से आगे बढ़ने के लिए उच्च न्यायालय की फाइल में बहाल कर दिया। पार्टियों को, जैसा भी मामला हो, विवादित प्रावधानों और राज्य की कार्रवाई का बचाव करने के लिए दलीलों में संशोधन करना होगा या बेहतर हलफनामा दायर करना होगा। चूंकि उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णयों को रद्द कर दिया गया है, इसलिए इसका पालन करना चाहिए कि 1973 अधिनियम की धारा 20 के अधिकारातीत होने के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई घोषणा को निरस्त कर दिया जाए और उस प्रावधान को उच्च न्यायालय के अगले आदेश तक पूर्ण प्रभाव दिया जाए।

रिमांड याचिकाएँ.

23. दोनों पक्षों के लिए उपलब्ध सभी विवादों को खुला छोड़ दिया गया है। मामला सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में कर्नाटक उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष पेश हो सकता है तो उच्च न्यायालय कानून के अनुसार याचिकाओं का शीघ्रता से निपटान करने का प्रयास कर सकता है।

तदनुसार अपीलों का निपटारा किया जाता है। मूल्य के हिसाब से कोई आर्डर नहीं।

लंबित आवेदन(आवेदनों), यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

देविका गुजराल अपील्स डिस्पोज़्ड आफॅ

(असिस्टेड बाय: रूपणशी विरंग लकरा)

(1) संक्षेप में, "1973 अधिनियम"
(2) बी.आर. द्वारा दायर मुरलीधर, 2013 की सिविल अपील संख्या 1966 में प्रतिवादी नंबर 1 3 सिविल अपील में प्रतिवादी
(3) प्रतिवादी नंबर 3, वी. बालासुब्रमण्यम @ बालेंदर वेंकट द्वारा दायर की गई 2013 का सिविल अपील नंबर 1966
(4) मैसर्स चंद्रा स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा 2013 की सिविल अपील संख्या 1966 में और साथी अपील यानी सिविल अपील में अपीलकर्ता की अपील संख्या..... @ एस.एल.पी. (सी) 2013 का क्रमांक 18942

(5) संक्षेप में, "उच्च न्यायालय"

(6) संक्षेप में, "1894 अधिनियम"(८)1973 अधिनियम को 1.10.1974 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई

(९) के.टी. प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य। बनाम कर्नाटक राज्य, (2011) एससीसी 1 (5– जज बेंच)

(१०) सुप्रा फुटनोट नंबर 9 पर

Translated by

(Kashika M. Prasad)